ज्ञापांक V ८९३ /ए-I महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार।
17-5-15-84 पटना, दिनांक .... जुलाई, 1984।

सेवा में,

सभी प्रक्षेत्र महानिरीक्षक
सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक (रेलवे एवं सैन्य पुलिस सहित)
सभी उप-महानिरीक्षक, प्रशिक्षण

विषय :- अनुसचिवीय कर्मचारियों को गृह जिला में पदस्थापन के सम्बन्ध में।

प्राय: यह पाया जाता है कि पुलिस अनुसचिवीय कर्मचारियों को गृह जिला से अधिक दूर पदस्थापित कर दिया जाता है, जिससे उन्हें बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

पुलिस हस्तक के नियम 865 (क) में प्रावधान है कि अनुसचिवीय अधिकारी साधारणत: नियुक्ति के जिले में ही रहेंगे और प्रोन्नति होने पर ही उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। इसी आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 910 दिनांक 20-1-71, 1027 दिनांक 14-3-73 एवं 2208 दिनांक 15-3-78 द्वारा निदेश दिया जा चुका है कि अनुसचिवीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन यथासंभव गृह जिला या उसके निकट के जिला/इकाई में किया जाय।

महानिदेशक ने उक्त निदेश का दृढ़ता से पालन करने तथा अनुसचिवीय कर्मचारियों को यथासम्भव उनके गृह जिला या उसके निकट के जिला/इकाई में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन करने का आदेश दिया है।

(signature) 18/7/84

आरक्षी उप-महानिरीक्षक (संचार) बिहार, पटना।

श्रीराम/17-7/84